

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम



## स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाइड

तंबाकू सेवन के कारण प्रतिदिन 2,200 से अधिक भारतीय व्यक्तियों की मौत होती है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों की तंबाकू की आदत छुड़वाने में मदद कर सकते हैं।



तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों को इसकी आदत छुड़वाने में मदद करना सर्वोधिक महत्वपूर्ण बात है जो आप उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं।



भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय



राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन



डा०डी०सी०जैन  
उप महानिदेशक  
दूरभाष ०११२३०६१८०६

रवारथ्य सेवा महानिदेशालय  
निर्माण भवन, नई दिल्ली - ११०१०८  
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES  
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI - 110108

Date.....

### आभार

तंबाकू सेवन, गैर संचारी रोगों से जुड़े जोखिम का प्रमुख कारण है। इसके समाप्तान के लिए, भारत सरकार ने एक नई पहल के रूप में वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में तंबाकू सेवन तथा उसके सम्पर्क में आवे वाले दूसरे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाए गए उपबंधों तथा तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों को तंबाकू छोड़ने में मदद करना शामिल है।

बड़ी संख्या में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी।

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल माननीय डा० आर० के० श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के प्रकाशन में उनके समर्पित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, इस मॉड्यूल की तैयार करने में मार्गदर्शन करने तथा पूर्णरूपेण रुचि लेने के लिए डा० दिनेश भट्टानागर अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का धन्यवाद अदा करता हूँ।

मैं, क्षयरोग तथा फेफड़ा रोग के अंतर्राष्ट्रीय संघ की सुश्री कैली लारसन, डा० नैवीन विल्सन और डा० राणा जे सिंह तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अधिकारी डा० जगदीश कौर का उनके अमूल्य सहयोग के लिए तथा डा० मीरा आगी और उनकी पूरी टीम का इस मॉड्यूल के क्षेत्र परीक्षणों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मैं सुश्री वाणी कुरुप का धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने इस मॉड्यूल का डिजाइन तैयार करने में अपना सहयोग दिया।

अंत में मैं उन सभी लोगों की प्रशंसा करना चाहूँगा जिन्होंने इस मॉड्यूल को तैयार करने में जानकारी और अपने सुझाव उपलब्ध कराए।

*D. Jain*  
डा० डी. जैन  
D. C. JAIN  
महानिदेशक  
2007-08  
रवारथ्य सेवा महानिदेशालय  
निर्माण भवन, नई दिल्ली - ११०१०८  
फोन: ०११२३०६१८०६



डा० दिनेश भट्टाचार  
अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  
दूरभाष-23061467/23061963

सम्पर्क जाते

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011  
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES  
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI - 110011

## आमुख

Date.....

विश्व में मृत्यु के रोकथाम योग्य कारणों में तम्बाकू का सेवन प्रमुख है। तम्बाकू का ज्यादा सेवन जल स्वास्थ्य के बड़े खतरों में से एक है। भारत में तम्बाकू सेवन का बढ़ता प्रचलन गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने, लोगों, खासकर, युवाओं एवं यद्यों को तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद तथा व्यापार विधिनाल उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन अधिनियम, 2003 लागू किया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यागत संयोजन (फ्रेमवर्क कार्बनेशन) को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है तथा इसका समर्थन करने वाले पहले कुछ देशों में शुमार है।

भारत सरकार ने समाज में प्रभावशाली ढंग से तम्बाकू नियंत्रण हेतु बहुआयामी इष्टिकोण के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम, कार्यक्रम की कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयित करने हेतु राज्यों तथा जिलों की क्षमता निर्माण में तथा तम्बाकू रोधी कानून को सहायता प्रदान कर रहा है।

जल-शिक्षा, कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है जिसे समुदायिक स्तर पर प्रसारित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों के संबंध में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की बुनियादी स्तर पर लोगों तक पहुंच होती है, इस प्रकार के व्यक्ति विशेष तथा समुदाय के आचरण / व्यवहार में बड़ा परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता गाइड स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को भारत में तम्बाकू सेवन की समस्या, तम्बाकू का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और धूमपान करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव (सैकिन्ड हैंड स्मोक) तम्बाकूरोधी कानून के अंतर्गत बनाए गए उपचर्धों तथा तंबाकू के सेवन के प्रचलन को कम करने के लिए समुदायों को जागरूक करने में उनकी भूमिका तथा तम्बाकू का सेवन छुड़ाने में सहायता करके लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के विषय में सुधारी बनाने हेतु बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। यह गाइड देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानी प्रणाली के बुनियादी स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले संदेशों पर ध्यान देते हुए सरल भाषा में लिखी गई है।

मैं आशा करता हूँ कि यह गाइड, देश में तम्बाकू-सेवन के प्रचलन तथा इसके सेवन से होने वाली वीमारियों को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

दिनेश भट्टाचार

## स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को उनकी तंबाकू सेवन करने की आदत छुड़वाने में मदद कर सकते हैं

समुदाय के सदस्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का आदर करते हैं। वे उनकी बात सुनते हैं और उनकी स्वास्थ्य-संबंधी सलाह को महत्व देते हैं।

आप कई महत्वपूर्ण कार्य करके अपने समुदाय की मदद कर सकते हैं।

- तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन न करें, एकांत में भी नहीं।
- तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करना:

सभी तंबाकू उत्पाद हानिकारक हैं।

कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है।

बीड़ी उतनी ही हानिकारक हैं जितनी की सिगरेट।

सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है।

तम्बाकू चबाने से मुंह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं।

- तम्बाकू के प्रयोग से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों और परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जागृत करने के साथ इसकी आदत छोड़ने के फायदों को उजागर करना।
- धूम्रपान छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सहयोग देना।
- धूम्रपान नहीं करके या तंबाकू नहीं चबाकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आपके क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं और सार्वजनिक स्थान धुए से मुक्त हैं।
- युवाओं को तंबाकू सेवन शुरू करने से बचाना।
- अपने स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र के पास के स्कूलों के कार्मिकों के साथ इस विषय पर चर्चा करना और तंबाकू नियंत्रण के अपने प्रयासों में उनको शामिल करना।

## तम्बाकू से संबंधित तथ्य

- विश्वभर में रोकी जा सकने वाली मौतें और बीमारियों का एकमात्र सबसे बड़ा कारण तंबाकू सेवन है।
- भारत में लगभग 55 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू सेवन से प्रतिवर्ष मरते हैं।
- लगभग 8 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तंबाकू सेवन से मरते हैं जो कि क्षयरोग, एड्स और मलेरिया के कारण मरने वाले कुल लोगों से अधिक हैं।



- प्रतिदिन 2,200 से अधिक भारतीय तंबाकू सेवन के कारण मरते हैं।
- भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में 40 तंबाकू के प्रयोग के कारण मरते हैं।
- लगभग 95 प्रतिशत मुहँ के कैंसर तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों में होते हैं।
- अभिधात, हार्ट-अटैक, फैफड़े के रोग, दृष्टिविहीनता और कुछ अन्य रोग तंबाकू के इस्तेमाल के कारण होते हैं।

तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मरते हैं।

## भारत में तम्बाकू उत्पाद

धूम्रपान के अलावा तम्बाकू सेवन के कई प्रकार हैं:



बीड़ी सिंगरेट की ही तरह हानिकारक हैं।



सिगरेट



हुक्का

सिगरेट में 4 हजार रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष, और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं।

धूम्रपानरहित तंबाकू के कई प्रकार हैं (जैसे ज़र्द, खैनी, गुटका, तंबाकूयुक्त पान मसाला, मावा, मिस्री एवं गुल)



खैनी



गुटका



ज़र्द

# तम्बाकू से होने वाली प्रमुख बीमारियाँ

## कैंसर




मुँह का कैंसर



फेफड़े का कैंसर

## चिरकालिक रोग



### अत्यधिक जोखिम वाले रोग :

- चिरकालिक श्वसन संबंधी रोग, दमा क्षयरोग और बार-बार छाती में संकमण
- कोरोनरी हृदय रोग
- फेफड़े का कैंसर



स्मोकर गेंगरिन  
(बरजर रोग)

### महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव :

- प्रजननता में कमी
- रक्षुर्त गर्भपात
- शिशुओं का जन्म के समय कम वजन, मृत बच्चे का जन्म
- गर्भाशय कैंसर

चोत: यू.एस.डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड हैल्यूमेन सर्विसेज। द हेल्थ कॉमिक्यूनिकेशन्स ऑफ स्मोकिंग ए रिपोर्ट ऑफ द सर्जन जनरल, अटलांटा, यू.एस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड हैल्यूमेन सर्विसेज, सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल एंड प्रिवेन्सन, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्मिकेशन डिजिज प्रिवेन्सन, एंड हेल्थ प्रमोशन, ऑफिस ऑफ स्मोकिंग एंड हैल्थ, अटलांटा, 2004 [http://www.cdc.gov/tobacco/data\\_statistics/sgr/sgr\\_2004/chapters.htm](http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/sgr_2004/chapters.htm), 5 दिसंबर, 2007 को प्राप्त।


तंबाकू किसी को नहीं छोड़ता – सेकेंड हेन्ड धूम्रपान भी मौत लाता है।



किसी अन्य की बीड़ी या सिगरेट से आने वाले धुएं का पान करना सेकेंड हेन्ड धूम्रपान कहलाता है।

सेकंड हैंड धूम्रपान बीड़ी-सिगरेट न पीने वाले वयस्कों व बच्चों सभी को हानि पहुँचाता है।

## सेकेंड हेन्ड धूम्रपान से होने वाली बीमारीयाँ



### अत्यधिक जोखिम वाले रोग :

- विरकालिक श्वसन संबंधी रोग, दमा, क्षयरोग और बार-बार छाती में संक्रमण

- कोरोनरी हृदय रोग
- फेफड़े का कैंसर
- एस आई डी एस (कॉट डेथ)

### महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव :

- प्रजननता में कमी
- शिशुओं का जन्म के समय कम वजन, मृत बच्चे का जन्म
- गर्भाशय कैंसर

## तम्बाकू सेवन छोड़ना



स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार के तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक की एकात में भी नहीं

स्वास्थ्यकर्मियों को समुदाय में प्रत्येक से पता लगाना चाहिए कि क्या वे धूम्रपान या तम्बाकू का सेवन करते हैं। तम्बाकू का किसी भी रूप में सेवन करने वालों को स्पष्ट और आत्मीय सलाह देकर उनसे इस हानिकारक और खराब आदत को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए।

जो लोग इस तरह आपकी सलाह मानने को तैयार न हों, उन्हें स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति पर तम्बाकू सेवन के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि तम्बाकू उत्पादों के बजाय उन्हें बेहतर खाद्य पदार्थों, कपड़ों, और बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च करना चाहिए।

आप और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते मैं तम्बाकू सेवन की आदत छोड़ने में आपकी मदद करूंगा क्योंकि तम्बाकू का इस्तेमाल आप और आपके आसपास के सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

आपके क्षेत्र का स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते मैं आपको बताने चाहता हूं कि तम्बाकू की लत छोड़ने से आप लम्बा और स्वरथ जीवन पाएंगे। इस आदत को त्यागने से आप अपने आसपास के लोगों कि भी रक्षा कर सकेंगे।

आपका स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी यह आदत छोड़ेंगें, उतनी ही जल्दी बेहतर महसूस करने लगेंगे। आपके स्वास्थ्य में उतनी ही जल्दी सुधार आना शुरू हो जाएगा।

आपके स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते बताना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। तम्बाकू उत्प के किसी भी पड़ाव पर छोड़ा जाए, स्वास्थ्य में सुधार ही करता है।

आपके स्वास्थ्यकर्मी के रूप में मैं जानना चाहता हूं कि आप तम्बाकू सेवन कब छोड़ने को तैयार हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं।

## धूम्रपान छोड़ने के फायदे

धूम्रपान छोड़ने से आप बेहतर महसूस करेंगे और आप भोजन का बेहतर स्वाद ले पायेंगे।

**धूम्रपान छोड़ने के 2 घंटे बाद :** निकोटीन आपकी अंग प्रणाली से बाहर हो जाता है।

**12 घंटे बाद :** कार्बन मोनोक्साइड आपकी अंग प्रणाली से बाहर हो जाता है और फेफड़े का कार्य बेहतर होने लगता है।

**2 दिन बाद :** आपकी सुर्गंध की संवेदना बढ़ जाती है; शारीरिक कार्यकलाप आसान हो जाता है और अधिक मात्रा में वायु फेफड़े में जाती है।

**2 महीने बाद :** फेफड़े अधिक क्षमता से कार्य करते हैं और म्यूक्स को दूर करने में सक्षम होते हैं; अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है।

**12 महीने बाद :** धूम्रपान जारी रखने वाले व्यक्ति की तुलना में हृदय रोग का जोखिम आधा हो जाता है।

**10 वर्ष बाद :** धूम्रपान जारी रखने वाले व्यक्ति की तुलना में फेफड़े के कैंसर का जोखिम आधे से भी कम हो जाता है।

**15 वर्ष बाद :** हार्ट अटैक और अभिघात का जोखिम उतना ही होता है जितना कभी भी धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति में होता है।

## धूम्रपान छोड़ने के नुस्खे

- दृढ़ होना।
- धूम्रपान छोड़ने की तारीख नियत करना और इसका पालन करना;
- तम्बाकू उत्पाद, लाइटर, माचिस और ऐश ट्रे को नष्ट करना। आपको उनकी जरूरत नहीं होगी।
- अपने परिवार से कहें कि आप धूम्रपान छोड़ रहे हैं। उनसे कहें कि वे आपको प्रोत्साहित करके आपकी मदद करें।
- ऐसी परिस्थितियों का पता लगायें जो आपमें धूम्रपान करने की इच्छा जगाती हैं और उनसे बचें। उदाहरण के लिए बीड़ी की दुकान या धूम्रपान करने वाले/तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को देखना।

## युवा वर्ग को सुरक्षित रखना



**कई युवा तंबाकू उत्पादों का सेवन शुरू कर रहे हैं।**

लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं लेकिन लड़कियों में भी तम्बाकू सेवन का चलन बढ़ रहा है।

आज धूम्रपान करने वाले कम उम्र के 100 बच्चों में से 50 बच्चे अंततः तंबाकू संबंधी रोग से मर जायेंगे यदि वे इसका सेवन नहीं छोड़ते।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा युवाओं को स्पष्ट, ठोस एवं व्यक्तिगत सलाह दी जानी चाहिए और तंबाकू सेवन से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया जाना चाहिए।

**जब युवा धूम्रपान करते हैं या तंबाकू चबाते हैं तो वे :**

- शारीरिक व्यायाम के दौरान और उसके बाद क्षीण शक्ति महसूस करते हैं।
- श्वास लेने, दौड़ने और खेलकूद संबंधी कार्यकलापों में कठिनाई महसूस करते हैं।
- जल्द ही थक जाते हैं।

**आपके स्वास्थ्यकर्ता के रूप में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि :**

- भले ही धूम्रपान करते हुए आप 'ट्रेण्डी' 'कूल' या 'फैशनबल' दिखाई देते हो, यह आपको नपुंसक/बांझ बना सकते हैं।
- धूम्रपान और तम्बाकू सेवन से दांत में धब्बे हो जाते हैं और श्वास से बदबू आती है।
- धूम्रपान और तम्बाकू सेवन से आपकी त्वचा और बाल रुखे हो जाते हैं। इससे झुरियाँ होने की संभावना होती है।

# भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए कानून

लोगों को तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों से बचाने के लिए भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा) नामक एक राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम बनाया है।

निम्नलिखित कार्य कानून के विरुद्ध हैं:

- कार्यस्थान सहित सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना;
- तंबाकू उत्पादों के बारे में विज्ञापन देना।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना।
- स्कूलों और कालेजों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना।
- बिना सचित्र चेतावनी के तंबाकू उत्पाद बेचना।

तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनियां तंबाकू जान लेता है।



प्रत्येक सार्वजनिक स्थान में यह चेतावनी संकेत प्रदर्शित होना चाहिए।



डाकघर



सरकारी कार्यालय



विधायिका



रेस्टोरेंट

## भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए अधिनियम

### अधिनियम (कोटपा) की धारा अधिनियम के उपबंध

- धारा 4 सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध
- धारा 5 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध
- धारा 6 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।
- धारा 7, 8 एवं 9 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

उल्लंघन की सूचना निम्नलिखित व्यक्ति को दी जाये:

डा./ श्री.....

(नामोदित नोडल अधिकारी का नाम— तंबाकू नियंत्रण) स्थान / संस्थान/ परिसर का नाम:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

दूरभाष : \_\_\_\_\_



उल्लंघन की सूचना निम्नलिखित को भी दी जा सकती है:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

राष्ट्रीय हेल्प लाइन: 1800-110-456

## कोटपा के उल्लंघन के लिए दण्ड

### कोटपा की धारा

धारा 4: सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध

धारा 5: सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध

धारा 6: नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

धारा 7,8 एवं 10: बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

### दण्ड (जुर्माना, कारावास या दोनों)

- क) व्यक्तिगत अपराधी के लिए : 200 रु. तक  
ख) स्वामी, प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के लिए: सार्वजनिक स्थानों में अपराधों की संख्या के बराबर जुर्माना।

क) पहला अपराध: 2 वर्ष / 1000 रु.

ख) दूसरा अपराध: 5 वर्ष / 5000 रु.

200 रु. तक

### क) विनिर्माता :

पहला अपराध : 2 वर्ष / 5000 रु.

दूसरा अपराध : 5 वर्ष / 10000 रु.

### ख) बिक्री/खुदरा बिक्री :

पहला अपराध : 1 वर्ष / 1000 रु.

दूसरा अपराध : 2 वर्ष / 3000 रु.

### सम्पादकीय मंडल

#### प्रमुख सम्पादक

- : डॉ. आर. के. श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार  
: डॉ. दिनेश भट्टनागर, स्वास्थ्य सेवा अतिस्क्रिक महानिदेशक, भारत सरकार  
: डॉ. डी.सी. जैन, स्वास्थ्य सेवा अतिस्क्रिक महानिदेशक, भारत सरकार  
: डॉ. जगदीश कौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार  
: डॉ. नैविन.सी. विल्सन, निदेशक, यूनियन दक्षिण-पूर्व एशिया कार्यालय, इंटरनेशनल यूनियन अर्गेस्ट ट्रुबर्क्यलोसिस एवं लंग डिज़ीज़  
: डॉ. मीरा. वी. आधी, व्यवहारशास्त्र परामर्शदाता एवं सूचना आदान-प्रदान विशेषज्ञ



भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

**झोत :**

सिंगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन नियंत्रण और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियम) अधिनियम, 2003 (कोटपा) और सा.का.नि. 417 (ई.) दिनांक 30 मई, 2008 के तहत अधिसूचित धूप्रपानरहित सार्वजनिक स्थान नियमावली, भारत सरकार।

पी.सी. गुप्ता, एस आसमा, बीडी धूमपान एवं जन-स्वास्थ्य, नई दिल्ली : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2008।

के. एस. रेड्डी, पी.सी. गुप्ता, भारत में तंबाकू नियंत्रण के बारे में रिपोर्ट, नई दिल्ली : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2004।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा विकसित, सहयोगी इंटरनेशनल यूनियन अमेस्ट दुबकर्चलोसिस एवं लंग डिज़ीज़।